

पत्र संख्या-आई0टी0-अपील माड्यूल-(2018-19)/

1819098 /

1503

/ वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0-अनुभाग)

दिनांक // लखनऊ // फरवरी, 11, 2019

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,
समस्त एडी0कमि0 ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/अपील)
समस्त ज्वा0कमि0(का0पा0/वि0अनु0शा0/का0सर्किल)
समस्त डिप्टी कमिश्नर(क0नि0/स0द0/प्रवर्तन)
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर(क0नि0/स0द0/प्रवर्तन)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।


GSTN पोर्टल पर ऑनलाइन प्रवर्तन अपील माड्यूल पूर्णतया विकसित न होने के कारण प्रवर्तन इकाईयों में तैनात अधिकारियों द्वारा किसी पंजीकृत व्यापारी के विरुद्ध पारित आदेशों की अपील फाइलिंग एवं निस्तारण के सम्बंध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या GST/17-18/ 1054 दिनांक 24-11-2017 से निर्धारित प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक प्रभावी किये जाने विषयक कार्यालय आदेश कम्प्यूटर संख्या-1819096 दिनांक 4 फरवरी 2019 को जारी किया जा चुका है। इस क्रम में प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किसी व्यापारी के विरुद्ध सृजित मांग का संशोधन किये जाने के लिये DRC 08 जनरेट करने की ऑनलाइन सुविधा GSTN (BO-WEB) पोर्टल पर उपलब्ध है। प्रवर्तन अधिकारी मात्र अपीलीय अधिकारी द्वारा समाप्त की गयी मांग को अपडेट करने के लिये GSTN पोर्टल पर DRC 08 जनरेट करेंगे। यह पत्र पूर्व में जारी आदेश संख्या-1819096 दिनांक 04-02-2019 के अनुक्रम में जारी किया जा रहा है।


(अमृता सोनी)

कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(एस0एस0 जैदी)

ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।